

## कार्यकारी सार

### पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षित लेखों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों जैसे कि आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

अध्याय-1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा हरियाणा सरकार की 31 मार्च 2019 की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह प्राप्तियों तथा संवितरण की टाईम सीरीज, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय तथा निवेश, ऋण संपोषण क्षमता तथा राजकोषीय असन्तुलनों का वित्तीय विश्लेषण प्रदान करता है।

अध्याय-2 विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान वार विवरण प्रदान करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन, खजानों की कार्यप्रणाली में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम का विस्तृत विवरण देता है।

अध्याय-3 हरियाणा सरकार द्वारा, विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं और वित्तीय नियमों की अनुपालना का विवरण प्रदान करता है।

### लेखापरीक्षा परिणाम

#### अध्याय 1

##### राज्य सरकार के वित्त

राजस्व घाटे के उत्तरोत्तर उन्मूलन द्वारा राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता में बुद्धिमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम, 2005 पारित किया गया था। यद्यपि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है।

#### [अनुच्छेद 1.1.2]

सरकारी विभागों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के अंतर्गत संग्रहित उपकर को राज्य की समेकित निधि में लिए बिना हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में अधिनियम में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। परन्तु, हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का

प्रावधान नहीं है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के मामले में उचित लेखांकन प्रक्रिया का अभाव है क्योंकि इन प्राप्तियों को वर्गीकृत करने के लिए एक विशिष्ट उप-शीर्ष का संचालन नहीं किया गया है।

**[अनुच्छेद 1.3.5]**

वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की वसूली बकाया ऋणों का केवल 1.13 प्रतिशत थी। सहकारी चीनी मिलों को इस शर्त के साथ ऋण संवितरित किया गया था कि ऋण संस्वीकृति के बारह माह बाद नौ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित समान किशतों में पांच वर्ष में चुकाया जाएगा तथा पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान में विफलता के मामले में नये ऋण का संवितरण नहीं किया जाएगा। फिर भी, पूर्ववर्ती ऋणों की शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित किए बिना चीनी मिलों को ऋण संस्वीकृत/वितरित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप बकाया ऋण 1 अप्रैल 2009 में ₹ 618.40 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2019 को ₹ 2,647.86 करोड़ हो गए। चूंकि ऋणों की वसूली खराब रही है, राज्य सरकार द्वारा इन ऋणों एवं अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने और राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार करना चाहिए ताकि लेखों का सही आकलन सुनिश्चित किया जा सके।

**[अनुच्छेद 1.4.2]**

वर्ष के दौरान कुल व्यय में से 83 प्रतिशत राजस्व व्यय था। 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत, चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, पेंशन देयताओं, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल सब्सिडी (₹ 8,549 करोड़) का 87 प्रतिशत (₹ 7,415 करोड़) केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिया गया।

**[अनुच्छेद 1.6.1 एवं 1.6.3]**

2018-19 के दौरान ₹ 15,307 करोड़ (कुल व्यय का 16.42 प्रतिशत) का पूंजीगत व्यय में उदय स्कीम के अंतर्गत बिजली क्षेत्र के ₹ 5,190 करोड़ के ऋणों को इक्विटी में परिवर्तन शामिल था। 2017-18 तक तीन विद्युत् कम्पनियों की संचित हानियां ₹ 29,453 करोड़ थीं।

**[अनुच्छेद 1.6.1 एवं 1.8.3]**

2018-19 की समाप्ति पर ₹ 2,985.55 करोड़ का रोकड़ शेष ₹ 6,315.60 करोड़ की निर्धारित आरक्षित निधि से कम था जो इंगित करता है कि आरक्षित निधि का उपयोग अभिप्रेत उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।

**[अनुच्छेद 1.8.7]**

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 31 मार्च 2019 को ₹ 1,84,216 करोड़ थीं। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं के अनुपात में वृद्धि की प्रवृत्ति थी जोकि 2014-15 में 20.23 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 26.05 प्रतिशत हो गया था। 2018-19 के अंत में ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.80 गुणा और राज्य के स्वयं के संसाधनों का 3.64 गुणा थीं।

**[अनुच्छेद 1.9.2]**

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2014-15 में ₹ 58,143 करोड़ से ₹ 96,825 करोड़ (167 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के साथ 2018-19 में ₹ 1,54,968 करोड़ हो गया था। 2018-19 में आंतरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 11,988 करोड़ का भुगतान किया गया था।

#### [अनुच्छेद 1.10]

राज्य, राजस्व घाटे वाला राज्य बना रहा। 2018-19 के दौरान ₹ 11,270 करोड़ का राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों का 17 प्रतिशत था, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं और उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत सृजन की बजाय मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था।

#### [अनुच्छेद 1.11.1]

राजकोषीय घाटा जो 2017-18 में ₹ 19,114 करोड़ था, 2018-19 में बढ़कर ₹ 21,912 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा म.अ.वि.नी.वि. में नियत किए गए 2.82 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध स.रा.घ.उ. का 3.10 प्रतिशत था।

#### [अनुच्छेद 1.11.1]

प्राथमिक घाटा जो 2014-15 में 5,658 करोड़ था, 2015-16 में ₹ 23,195 करोड़ तक बढ़ गया और 2016-17 में घटकर ₹ 15,743 करोड़ हो गया, 2017-18 के दौरान घटकर ₹ 7,153 करोड़ हो गया परन्तु 2018-19 में बढ़कर ₹ 8,361 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे का अस्तित्व इंगित करता है कि राज्य को अपने ऋणों पर ब्याज भुगतान करने के लिए भी ऋण लेने की आवश्यकता है।

#### [अनुच्छेद 1.11.1]

## अध्याय-2

### वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2018-19 के दौरान, ₹ 1,41,732.90 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरुद्ध ₹ 1,21,362.76 करोड़ का व्यय किया गया था। ₹ 20,370.14 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों में ₹ 20,411.68 करोड़ की बचत तथा तीन अनुदानों के अंतर्गत ₹ 41.54 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थीं। जिसे वर्ष 2017-18 से संबंधित ₹ 540.60 करोड़ के अधिक व्यय के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता थी।

#### [अनुच्छेद 2.2 एवं 2.3.2]

2014-19 के दौरान 18 अनुदानों और एक विनियोजन में सतत बचत दर्ज की गई। 37 मामलों में, पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम रहा। 13 अनुदानों के अंतर्गत 17 प्रमुख शीर्षों में 52 प्रतिशत व्यय मार्च 2019 में किया गया जो वर्ष के अंतिम माह में व्यय के आधिक्य को दर्शाता है तथा सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56 के प्रावधानों के विपरीत था। 2018-19 के दौरान ₹ 2,045.91 करोड़ के अनुमोदित अनुमान वाली 71 विकास योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई थीं।

#### [अनुच्छेद 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 एवं 2.5.3]

### अध्याय-3

#### वित्तीय रिपोर्टिंग

राज्य द्वारा भारत सरकार के लेखांकन मानकों (आई.जी.ए.एस.)-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी और प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रदान नहीं की गई थी।

#### [अनुच्छेद 3.1]

विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 8,469.49 करोड़ के ऋणों तथा अनुदानों से संबंधित 1,732 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2019 को बकाया थे। 87 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 166 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2019 तक बकाया थे।

#### [अनुच्छेद 3.2 एवं 3.3]

राज्य सरकार ने ₹ 1.28 करोड़ की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुरुपयोग, जालसाजी इत्यादि के 75 मामले सूचित किए जिन पर जून 2019 तक अंतिम कार्यवाही की जानी लंबित थी। इनमें से 40 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

#### [अनुच्छेद 3.6]

2018-19 के दौरान, ₹ 8,581.76 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 9.28 प्रतिशत) वित्त लेखों में उपयुक्त रूप से लेखाकृत करने के बजाय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

#### [अनुच्छेद 3.7]